

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/17

जयपुर, दिनांक : 04.09.2017


आ दे श

निम्न अधिकारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. वी. के. जैन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा
2. डा. पी. सी. यादव, प्रमुख विशेषज्ञ (गायनी), जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
3. डा. जितेन्द्र बंजारा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, घाटोल, बांसवाडा


निलम्बन काल में उक्त तीनों अधिकारियों का मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा। उक्त अधिकारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 5- निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि अविलम्ब भिजवावें एवं उक्त अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करावें।
- 6- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर
- 7- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा
- 9- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 10- कम्प्यूटर सेल
- 11- निजी /रक्षित पत्रावली
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव